



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1408

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41515 वर्ष 2025

वसीम अहमद और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: रोहित कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा और राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री आर. के. निषाद की दलीलें सुनीं और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका याचिकाकर्ताओं,

वसीम अहमद और साकिर खान उर्फ गोलू की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या 1087/2025, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के तहत, पुलिस स्टेशन- कोतवाली ललितपुर, जिला- ललितपुर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 9 किलो 732 ग्राम गांजा आवेदकों के संयुक्त कब्जे से बरामद किया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदकों से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उनके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक, जो 19.9.2025 से जेल में हैं और जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि विवाद पूर्व-परीक्षण चरण में आवेदकों की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल हैं। इसलिए, आवेदकों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, आरोपी-आवेदक का चरित्र, आरोपी से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनहित/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अतः जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपित **वसीम अहमद और साकिर खान उर्फ गोलू** को निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के मुचलके प्रस्तुत करें। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

1. आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। जमानत स्वीकार किए जाने से पहले, आवेदकों और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।